कार्यालय– जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह

पुराना जेल परिसर, झण्डा मैदान के सामने, गिरिडीह - 815301, दूरभाष - 06532-250043,221322
E-mail - [illegible]

कार्यालय आदेश

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या–434, दिनांक–01.03.2016 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के विज्ञापन संख्या 21/2016 द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के परीक्षाफल एवं कॉउंसिलिंग के उपरान्त झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (सीधी भर्ती) एवं झारखण्ड सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल–391 में से 378 अनुशंसित अभ्यर्थियों को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक दिनांक–26.06.2019 एवं दिनांक 22.07.2019 को लिए गए निर्णय के आलोक में वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे 4600 एवं सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता के साथ अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन शिक्षक पद पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अनुक्रमांक	विषय	सीधी भर्ती / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक	चयनित कोटि (UR/SC/ST/BC-I/BC-II)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
NITISH KUMAR SHARMA	HRIDAY KUMAR SHARMA	19131193557	शारीरिक शिक्षा	सीधी भर्ती	UR	H.S. LEDA, GRD

शर्तें :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
2. योगदान के पश्चात् दो वर्षों की सेवा परीक्ष्यमान अवधि की होगी संतोषप्रद सेवा के आधार पर उनकी सेवा संपुष्टि पर विचार किया जाएगा।
3. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगदान करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को दो दिनों के अन्दर उनकी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/आवासीय/जाति प्रमाण पत्र आदि का मिलान सम्बंधित मूल दस्तावेज से कर लेंगे। मूल दस्तावेज से मिलान करते समय किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की स्थिति में उसकी सूचना अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।
4. अभ्यर्थी द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य कागजात की जाँच संबंधित बोर्ड/संस्था एवं विश्वविद्यालय से कराए जाने के पश्चात् उनका कोई भी प्रमाण–पत्र या कागजात जाली पाए जाने की स्थिति में बिना सूचना के किसी भी समय उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. जाँचोपरान्त यह पाए जाने पर कि वे मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
6. योगदान के समय मुख्य असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा तभी उनका योगदान स्वीकृत हो सकेगा।
7. योगदान के समय अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि वे न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे तथा वे किसी फौजदारी मुकदमे में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किए गए हैं और न ही उनके विरुद्ध ऐसा कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्षों की सजा दिये जाने की संभावना है।

Scanned by CamScanner